आर.ई.ओ.–128

जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० सामान्य/प्रे० 2473 जोधपुर, दिनांक 4/12/06

आदेश

विषयः– दिनांक 30.06.2004 के बाद कटे हुए कृषि कनेक्शन को पुनः चालू करने के संबन्ध में ।

*****

कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.09.2004) के बिन्दु संख्या 24 के अनुसार दिनांक 30.06.2004 के बाद दो साल तक के कटे हुए कनेक्शन को यदि उपभोक्ता चालू कराना चाहता है तो पुनः चालू किया जा सकता है, परन्तु दो साल से अधिक कटे हुए कनेक्शन पुनः चालू नही किया जायेगा ।

दिनांक 01.12.2006 को निदेशक मण्डल की 109वी बैठक में विषयवस्तु पर विस्तृत चर्चा के पश्चात कृषि नीति 2004 के बिन्दु संख्या 24 में आंशिक संशोधन कर यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30.06.2004 के बाद तीन साल तक के कटे हुए कनेक्शन को यदि उपभोक्ता चालू कराना चाहता है तो निम्न शर्तो के अनुरूप पुनः चालू किया जा सकता है परन्तु तीन साल से अधिक कटे हुए कनेक्शन पुनः चालू नही किया जावेगाः–

1. दो साल से अधिक समय से कटे हुए कनेक्शनों की यदि लाईन हटा ली गई हो तो रूपये 1500/– प्रति हार्स पॉवर, 10 हार्स पॉवर, तक तथा इसके बाद रूपये 750/– प्रति हार्स पॉवर की दर से अतिरिक्त राशि जमा करवानी होगी । जिसके कनेक्शन कटे हुए 2 वर्ष की अवधि पूर्ण नही हुई है उनकी बकाया राशि मय ब्याज तथा री–कनेक्शन चार्जेज लेकर पुनः चालू किया जावेगा ।
2. उक्त कटे हुए कनेक्शनों को पुनः उसी स्थान पर ही चालू किया जायेगा ।

{एम.एल.त्रिपाठी}
अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।